

प्रति,

श्री मोहन भागवतजी
सरसंघचालक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
नागपुर, महाराष्ट्र
पड़ाव-सागर, मध्यप्रदेश

स्थान - २१७१२
दिनांक - १७-०१-२०१५
पत्र क्रमांक - गाय/१०८/१७

विषय - 'गाय' को 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिलाए जाने के संबंध में।

मान्यवर,

भारतीय संस्कृति में जीवदया, अहिंसा, प्राणिमैत्री एवं परोपकार जैसे सद्गुणों एवं उदात्त मूल्यों को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। इसी कारण से पशुधन के बीच 'गाय' (Cow, Scientific name-Bos Taurus/Bos Indicus) का महत्व, उपयोगिता को साहित्य और संस्कृति में सदा ही उच्चतम आदर्श मूल्यों के कारण लोकप्रसिद्धि प्राप्त है। गाय से प्राप्त पंचगव्यों के प्रयोग से जहाँ प्राणियों को शारीरिक आरोग्यता एवं पुष्टि प्राप्त होती है, वहीं प्रकृति एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये निरापद साधन भी उपलब्ध होते हैं। इसी कारण भारत में गाय को 'गौमाता' कहकर जन्मदाता 'माँ' जैसा श्रेष्ठ दर्जा/स्थान भी प्रदान किया जाता है। अतएव माननीय महोदय से अनुरोध है कि गाय के प्रदेय को रेखांकित करते हुए गाय को 'राष्ट्रीय पशु' के रूप में स्थापित किए जाने हेतु संवैधानिक प्रक्रिया करके अधिसूचित किया जाए।

ध्यान देने योग्य तथ्य है कि राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग के उप-सचिव एन. एल. गुप्ता के हस्ताक्षर से अधिसूचना क्र. म ४ (३)पपा/२०१४, जयपुर, दिनांक १६ सितम्बर, २०१४ को निर्गमित की गई थी। 'राजस्थान का राज्य पशु' विषयक इस नवीन निर्देश में निम्न उल्लेख किया गया है-


"राज्यपाल महोदय "चिंकारा" (CHINKARA) (gazella bennettii) के साथ-साथ "ऊँट" (Camel) (Camelus dromedarius) को भी सहर्ष "राजस्थान का राज्य पशु" घोषित करते हैं।"

इस अधिसूचना से सुस्पष्ट है कि राजस्थान सरकार ने पूर्व में निर्धारित राज्य पशु 'चिंकारा' के साथ-साथ अब "ऊँट" को भी राज्य पशु के रूप में घोषित कर दिया है। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश में अब दो प्राणी 'राज्य पशु' के दर्जे से अभिमण्डित हो गए हैं।

भारत सरकार से देश भर के नागरिक अनुरोध करते हैं कि वह अपने अधिकार के तहत 'गाय' को स्वतंत्र रूप से 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा प्रदान करे। कदाचित्, यदि ऐसा कर पाना संवैधानिक दृष्टि से संभव नहीं हो, तो राजस्थान सरकार के द्वारा निर्गमित उपरिलिखित अधिसूचना के अनुरूप ही वर्तमान में निर्धारित 'राष्ट्रीय पशु' के साथ ही गाय को भी 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिया जाना तो सुनिर्धारित किया ही जा सकता है।

आशा है आप इस विषय कि महत्ता को दृष्टि में रखकर त्वरित गति से कार्रवाई सुनिश्चित कराकर गाय को उसके वास्तविक गौरवपूर्ण स्थान/दर्जा दिलाने में अवश्य ही सहभागिता प्रदान करेंगे। आपके द्वारा इस विषय में की/कराई गई कार्रवाई की एक प्रति हमें भी उपलब्ध हो सके, ऐसी आपसे महती आपेक्षा करते हैं। सादर।

संलग्न - राजस्थान सरकार की उपरिलिखित अधिसूचना की प्रति।

भवदीय

श्रीमोहन भगत

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक 18/2014

जयपुर दिनांक 16 SEP 2014

अधिसूचना

विषय:- "राजस्थान का राज्य पशु"

राज्यपाल महोदय "चिंकारा" (CHINKARA) (Gazella bennettii) के साथ-साथ "ऊट" (Camel) (Camelus dromedarius) को भी राज्य पशु के रूप में घोषित करने के लिए।

आदेश सं.
[Signature]
(एन एल गुप्ता)
शासन उप सचिव

अधीनस्थ विभागों को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान
2. उपाध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गौपालन विभाग
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग
7. सपरत विभाग, राजस्थान
8. सपरत समानीय आयुक्त / जिला कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक, राजस्थान
9. प्रबंध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर
10. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर
11. कुलपति, राजूवास, बीकानेर
12. निदेशक, पशुपालन / मत्स्य / गो सेवा राजस्थान जयपुर
13. मुख्य जांचकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर
14. अधीक्षक, राज्य कन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना को विशेष राजपत्र में प्रकाशित करवाकर प्रकाशित राजपत्र की प्रती इस विभाग को प्रेषित करने का धन करावे।
15. संकेत पत्रावली

[Signature]
शासन उप सचिव